न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री,
RAS

प्रकरण संख्या – 23/2019 अपील

1. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं बन बन्दोबस्त, जयपुर
3. राजस्थान राज्य मार्फत् जिला कलक्टर बांसवाड़ा
4. भूमिधारी राजस्थान राज्य जरिये राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा

.....अपीलाण्ट्स

बनाम

1. श्री पार्श्वनाथ जी स्थानदेह खातेदार (मूर्ति नाबालिग) समस्त पंच दशा हुमड़, बस पंथी निवासी कुशलगढ़, सरबराकार मंदिर, पंजीकृत न्यास जरिये अध्यक्ष व व्यवस्थापक जयन्तिलाल पुत्र नथमल जी सेठ निवासी नेहरू मार्ग, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा

.....रेस्पोण्डेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.04.2018 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ बमुकदमा संख्या 45/2017

उपस्थित :–

1. श्री योगेन्द्र दशोरा, अधिवक्ता वास्ते अपीलाण्ट्स
2. श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोंडेण्ट
3. श्री एस. पी. व्यास, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोंडेण्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.08.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं 151 जाब्ता

दीवानी के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एक शाश्वत नाबालिग पंजीकृत न्यास है तथा ग्राम अंदेश्वर में पार्श्वनाथ जी के नाम से खातेदार है । प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार कुल आराजी 10 रकबा 18.94 एकड़ सेटलमेंट सम्वत् 2015 के पूर्व से दर्ज होकर प्रार्थी का स्वामित्व व कब्जा है । विपक्षी संख्या 3,4 व 5 वन विभाग का इस भूमि में कोई हक नहीं है । प्रार्थी की खातेदार की भूमि के सर्वे नं0 26 के संलग्न विपक्षी वन विभाग की आराजी नं0 27 वन भूमि रकबा 99.43 एकड़ भी दर्ज है । उक्त भूमि सर्वे नं0 27 किस्म मगरी होकर वन विभाग को अन्तरित होकर वन विभाग को वर्ष 1962 में भू–प्रबन्ध करते हुए आराजी नं0 27 वन विभाग की डिमार्केशन लाइन डालत समय प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नं0 26 की कुल रकबा 14.32 एकड़ भूमि के अंदर 4.10 एकड़ भूमि में उत्तर दिशा की ओर पूर्व पश्चिम दोनों तरफ त्रिभुजाकार डिमार्केशन लाइन गलत अंकित कर दी जिससे प्रार्थी की भूमि सर्वे नं0 26 की रकबा 4.10 एकड़ कम हो जाती है, जिससे प्रार्थी को नुकसान हुआ है । उक्त जानकारी प्रार्थी को रेकर्ड की नकल लेने से हुई । उक्त डिमार्केशन लाइन गलत डल जाने के संबंध में विपक्षीगण को सूचित किया गया, कई मौका एवं पंचनामे बनाये गये एवं विपक्षीगण की ओर से यह माना गया कि सर्वे नं0 27 के नक्शे में तरमीम करते समय वन विभाग की डिमार्केशन लाइन सर्वे नं0 26 में सर्वे नं0 27 की नक्शे में गलत अंकित हो गई । उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शे में तरमीम हेतु आराजी नं0 26 कल कुल रकबा 14.32 एकड़ भूमि के अंदर 4.10 एकड़ भूमि उत्तर दिशा की ओर पूर्व विवरण अनुसार सर्वे नं0 27 में अंकित कर दी उसकी दुरूस्ती के लिए आवेदन किया । आवेदन के साथ शपथ–पत्र भी पेश किया तथा पेशशुदा जमाबंदी अनुसार सम्वत् 2015 आराजी नं0 26 मंदिर के नाम 14.32 एकड़ भूमि दर्ज है जो जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में भी दर्ज है ।

उप वन संरक्षक बांसवाड़ा द्वारा पत्रांक– 9165 दिनांक 07.11.2017 में वन विभाग द्वारा आवेदक को न्यायालय कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है। इसी प्रकार क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरा द्वारा अपने पत्रांक– 5 दिनांक 22.02.2011 से प्रधान मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा को लिखा गया है कि ब्लॉक 5 नक्शे में खसरा नं0 26 की लाइन को काट कर वन सीमा लाइन डाली गयी है व उसे खसरा नं0 27 में 103.12 एकड़ा रकबा अन्दर ब्लॉक ग्राम अंदेश्वर में दर्ज किया गया है । इसी प्रकार मण्डल वन अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर बांसवाड़ा को जरिये पत्रांक 8783–86 दिनांक 26.08.2011 से निम्नानुसार लिखा गया है –

''वन खण्ड अंदेश्वर को रक्षित वन घोषित करते समय ग्राम अंदेश्वर के खसरा नं0 26 जो कि पारनाथ जी मंदिर स्थानदेह समस्त पंच दशा हुमड़ बीस पंथी सा. कुशलगढ़ की खातेदारी भूमि है तथा इस क्षेत्र में अंदेश्वर जैन मंदिर बना हुआ है एवं इस खसरे का कोई हिस्सा अंदर ब्लॉक में नहीं लिया गया है अर्थात् वन खण्ड अंदेश्वर में ग्राम अंदेश्वर का खसरा नं0 26 शामिल नहीं । इस वन खण्ड की नक्शा सूची चक काश्त में खसरा नं0 26 का स्पष्ट उल्लेख है जो यह दर्शाता है कि यह भूमि वन खण्ड से पृथक रहेगी (अर्थात् वन खण्ड का हिस्सा नहीं रहेगी) नक्शा सूची चक काश्त परिशिष्ट–2 संलग्न है । ऐसी स्थिति में वन खण्ड की सीमा को प्रकाशित करते समय वन खण्ड की सीमा खसरा नं0 26 को बाहर छोड़ते हुए खसरा नं0 26 की सीमा पर आनी चाहिये थी । (संलग्न नक्शे में दर्शायी गयी हरी लाइन) लेकिन इसके बजाय जो वन खण्ड की समा प्रकाशित हुई वह खसरा नं0 26 के बीच में आ गई । (संलग्न नक्शे में लाल रंग की लाइन) इससे खसरा नं0 26 की लगभग 1.5 हैक्टर से 1. 8 हैक्टर भूमि वन खण्ड में आ गई, जबकि सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया में खसरा नं0 26 का कोई हिस्सा वन खण्ड में शामिल करना नहीं पाया गया । चूंकि खसरा नं0 26 समस्त पंच दशा हुमड़ जैन कुशलगढ़ खातेदार भूमि (जमाबंदी की नकल परिशिष्ट–3 संलग्न है) होने से उसे बिना भूमि अधिग्रहण किये अंदर वन खण्ड लिया भी नहीं जा सकता था । ऐसी स्थिति में यह उचित रहेगा कि इस वन खण्ड की सीमा को पंनः संशोधित सीमा विवरण प्रकाशन करवाने की कार्यवाही की जाना उचित रहेाग । इससे खसरा नं0 26 की भूमि वन खण्ड से बाहर हो जाएगी तथा चूंकि वन खण्ड का कुल क्षेत्रफल वही रहेगा । अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान भी इस पर लागू नहीं होंगे । ''

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा उप वन संरक्षक बांसवाड़ा को निम्नानुसार लिखा गया है जो मौका परचा दिनांक 02.06.2010 के साथ है–

''इसी प्रकार खसरा नं0 27 की भूमि जो वास्तवित रूप से घोषित वन खण्ड अंदेश्वर की भूमि है तथा राजस्व अभिलेखों में

गलत तरमीम के कारण बाहर हो गई है उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जावे तथा उसमें कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं होने दिया जावें ।''

कार्यालय उप तहसीलदार, सज्जनगढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी को जरिये पत्रांक–202 दिनांक 17.06.2010 द्वारा निम्नानुसार लिखा गया है–

''प्रासांगिक पत्र की पालना में दिनांक 09.03.2010 एवं पुनः 28.05.2010 को राजस्व अधिकारी कर्मचारीगण, वन विभाग के अमीन, रेंजर सा., वनपाल इत्यादि एवं मंदिर के प्रतिनिधिगणों के साथ रहकर वन विभाग के अमीन द्वारा वन क्षेत्र की सम्पास विधि से एवं द्वितीय बार प्लेन टेबल पद्धति से सर्वे कार्य किया गया एवं मौका परचा तैयार किया गया । तद्नुसार यह पाया गया कि अंदेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर के खातेदारी की भूमि आराजी नं0 26 में जो कि बन्दोबस्त से मंदिर के नाम आज तक है, के अंदर वन विभाग की लाइन डालकर मौके पर कच्चे पत्थरों की मेड़ बना दी गई है एवं लगभग तीन से चार एकड़ भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा कर लिया गया है जबकि वन बन्दोबस्त से आज तक वन विभाग के नाम खसरा नं0 26 में कोई भी दर्ज नहीं है ।''

प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट के उक्त आवेदन का जबाब विपक्षी नं0 3, 4 व 5 यानि अपीलाण्ट संख्या 1, 2 व 3 द्वारा खण्डन का पेश करते हुए निवेदन किया गया कि खसरा नं0 26 में लगभग 4.10 एकड़ भूमि नोटिफाइड फोरेस्ट लाइन पिलर संख्या 118 से 125 के अंदर होकर वन विभाग का कब्जा सन् 1962 से है तथा इस पर पेड़–पौधे खड़े हैं । इस भूमि पर वन विभाग का 09.08.1962 से कब्जा है । यह भूमि वन विभाग की अधिसूचित भूमि है तथा पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर उक्त भूमि को वन विभाग की भूमि सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया है । इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रार्थी रेस्पोंडेण्ड अधिकृत नहीं है । साथ में वन विभाग की अधिसूचना वर्ष 1962 जिसमें पिलर संख्या वर्णित करते हुए वन भूमि का विवरण दिया गया है, वह भी प्रस्तुत की ।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपील के अनुसार ही लिखित बहस तथा दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें नक्शा सूची चक

काश्त में आराजी नं0 26 का रकबा 14.32 एकड़ ही दर्ज है । दिनांक 13.04.2018 को विपक्षी सं0 3,4 व 5 अपीलाण्ट की ओर से लिखित बहस अपने जबाब के अनुसार ही पेश की गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद प्रकरण संख्या 45/2017 में अपना निर्णय दिनांक 24.04.2018 द्वारा पूर्ण आज्ञापक विवेचन करने के बाद पर्याप्त मौका रिपोर्ट्स का विवेचन करते हुए निम्नानुसार अपना निर्णय पारित किया है –

> "अतः यह न्यायालय वन खण्ड अंदेश्वर के खसरा नं0 26 के स्तम्भ संख्या 110 से 125 को खसरा नं0 26 की सेटलमेंट सर्वे सम्वत् 2012 की डिमार्केशन के अनुसार शिफ्ट करने का आदेश देता है । स्तम्भ संख्या 118 से 125 के वर्तमान डिमार्केशन को निरस्त किया जाता है । नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 26 के मूल डिमार्केशन (सेटलमेंट सर्वे शीट सम्वत् 2012) को रेस्टोर किये जाने का आदेश दिया जाता है । मूल डिमार्केशन के अनुसार खसरा नं0 26 से वन विभाग अपने पिलर (सीमा द्योतक चिन्ह) स्तम्भ संख्या 118 से स्तम्भ संख्या 125 के बीच हटाकर खसरा नं0 27 व 26 की सीमा जो सेटलमेंट ट्रेस 2012 में निर्धारित है, के अनुसार स्थापित करें तथा तद्नुसार नोटिफिकेशन जारी करवाया जाकर राजपत्र में प्रकाशित करावें । वन विभाग नक्शा दुरूस्ती अनुसार मंदिर की भूमि खसरा नं0 26 से अपना कब्जा हटाकर एक माह के अन्दर–2 मंदिर को तहसीलदार सज्जनगढ़ की उपस्थिति में कब्जा सुपुर्द करें । धारा 151 व्यवहार प्र0 सं0 की शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार (भूमिधारी–सहायक भू–अभिलेख अधिकारी) सज्जनगढ़ को आदेशित करता हूँ कि राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती एवं वन विभाग से तद्नुसार मंदिर को कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही कर पालना एक माह में प्रस्तुत करें । आदेश की प्रति वन विभाग को दी जाकर आदेशित किया जाता है कि निर्णय अनुसार पालना एक माह में प्रस्तुत करें । पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका नक्शा इस निर्णय का हिस्सा रहेगा । निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया । निर्णय की Computerise प्रति भी हस्तलिखित प्रति के

साथ शामिल पत्रावली की जावें । बाद तकमील निर्णय पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।''

अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी अंदेश्वर से प्राप्त रिपोर्ट 24.04.2018 शामिल फाइल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की प्रति पत्रांक 1009 दिनांक 25.05.2018 से उप वन मण्डल अधिकारी, तहसीलदार सज्जनगढ़ को भेजी तथा तहसीलदार द्वारा अपने पत्रांक 1947 दिनांक 19.07.2018 द्वारा उक्त निर्णय की पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की । उपखण्ड अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय बाबत् पालना रिपोर्ट जिला कलक्टर बांसवाड़ा को पत्रांक–690 दिनांक 05.08.2019 से प्रेषित की । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार मौतवीरान् की उपस्थिति में दिनांक 12.06.2018 को प्रार्थी को भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2018 को उप वन संरक्षक को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने बाबत् प्रतिनिधि या स्वयं उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया जिसकी प्रति वन विभाग के श्री आर. एस. सिसोदिया द्वारा दिनांक 23.07.18 को प्राप्त की गयी । इससे पूर्व भी उप वन संरक्षक को दिनांक 10.06.2018 को तहसीलदार द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति 10.06.2018 को वन विभाग में प्राप्त होना प्रकट आता है । दिनांक 11.06.2019 को भी क्षेत्रीय वन अधिकारी सज्जनगढ़ को निर्णय की पालना हेतु उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया जो दिनांक 11.06.2019 को ही वन विभाग को प्राप्त होना भी प्रकट आता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.04.2018 प्रकरण संख्या 45/2017 से रूष्ट होकर अपीलाण्ट्स विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2019 को प्रेषित की गयी तथा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि आराजीनं0 26 का लगभग 4.10 एकड़ भूमि नोटिफाइड फोरेस्ट लाइन के अंदर है जिस पर वन विभाग का सन् 1962 से कब्जा है । इस भूमि की तरमीम करते वक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा पिलर संख्या 118 से 125 तक दो लाइन डाली गयी परन्तु बाद में एक लाइन को काटकर रेवेन्यू इंसपेक्टर द्वारा नोटिफाइड वन क्षेत्र के नक्शे में यह टिप्पणी अंकित की कि आराजी नं0 26 की सीमा गलत होने से 4.10 एकड़ रकबा आराजी नं0 27 में शामिल हुआ व आराजी नं0 26 का जूज हिस्सा खारिज आदेश नम्बर किया गया । खसरा नं0 27 के कुल रकबा 103.33 एकड़ में से 103.15 एकड़ अंदर

ब्लॉक वन क्षेत्र आता है । वर्तमान में वन सीमा के अंदर जो कि नक्शे में दर्शाया गया है। खसरा नं0 27 का रकबा बरारी करने पर खसरा नं0 27 का रकबा भी लगभग 103.15 एकड़ आता है । लगभग 55 वर्ष बाद रेस्पोंडेण्ट द्वारा वन क्षेत्र में पिलर संख्या 118 से 125 तक के वन क्षेत्र के खसरा नं0 27 में विधिविरूद्ध भू–अभिलेख अधिकारी सज्जनगढ़ में वाद दायर किया जो कानूनन सही नहीं है । खसरा नं0 27 का 4.10 एकड़ को आराजी नं0 26 का भाग बताकर बिना किसी आधार के निर्णय पारित कराया है, जो खारिज योग्य है । माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार वन विभाग की अधिसूचित भूमि को परिवर्तित करने का किसी को अधिकार नहीं है । राजस्थान वन बन्दोबस्त नियमों में कार्यवाही वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा अपनी शक्तियां के उपयोग में उक्त वन सीमाओं का विनिश्चय किया गया । अपील जानकारी से अंदर समयावधि में पेश की जा रही है फिर भी सुविधा की दृष्टि से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि अपीलाण्ट्स राजकीय सरकारी कर्मचारी होकर राजकीय कार्यक्रमों /कार्यों में व्यस्त होने से निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान सरकार को भेजी गयी, जहां से पूर्व में माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी के यहां प्रस्तुत कराने के आदेश प्रदान किये गये लेकिन क्षेत्राधिकार वहां नहीं होने के कारण पुनः राजस्थान सरकार द्वारा आप न्यायालय में अपील करने के निर्देश दिये गये जिससे अविलम्ब अपील आपके यहां प्रस्तुत की जा रही है । ताइद में शपथ–पत्र भी पेश किया। अपील के साथ प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट की आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ की जमाबंदी तथा वन विभाग के नाम आराजी नं0 27 रकबा 99.43 एकड़ की जमाबंदी भी पेश की गयी । सम्वत् 2012 की जमाबंदी अनुसार भी अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा रेकर्ड अनुसार आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ ही होने का दस्तावेज भी अपीलाण्ट द्वारा पेश किया गया है । अपीलाण्ट द्वारा ग्राम अंदेश्वर का पूर्ण नक्शा भी पेश किया गया जिसमें नोट लगा हुआ है कि **"आराजी नं0 26 की सीमा गलत होने से 4.10 एकड़ आराजी नं0 27 में शामिल हुआ और आराजी नं0 26 का जुज हिस्सा खारिज आदेश नं0 ..... से किया गया ।"**

अपीलाण्ट की उक्त अपील के सन्दर्भ में रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपील का खण्डन का जबाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि आराजी नं0 26 क्षेत्रफल 4.10 एकड़ नोटिफाइड फोरेस्ट लाइन के अंदर आने का और उस पर वन विभाग का सन् 1962 से कब्जा चला आ रहा होना गलत है । विज्ञप्ति

जारी होने के पहले वन क्षेत्र में लायी जा सकने वाली राजस्व भूमि के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद जो प्रपत्र तैयार किये गये उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख जो वन विभाग द्वारा ही तैयार किया गया जो प्रदर्श–1 के रूप में इस जबाब के साथ पेश किया जा रहा है । उसमें आराजी नं0 26 का क्षेत्रफल 14.32 को प्रस्तावित वन क्षेत्र से बाहर रखा गया है और आराजी नं0 27 का क्षेत्रफल 99.43 एकड़ ही दर्ज चला आ रहा है । अगर अपीलाण्ट के लिखे अनुसार आराजी नं0 26 का क्षेत्रफल 4.10 एकड़ नोटिफाइड फोरेस्ट लाइन अंदर आ रही होती तो इस संबंध में आवश्यक अमल दरामद अवश्य होता व रेस्पोंडेण्ट को वन विभाग से मुआवजा प्रापत होता । सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.1962 में साफ अंकित किया है कि – **''ब्लॉक के अंदर जमीन या हक व रियायत के बाबत् किसी का उजरदावा पेश नहीं हुआ है और कोई भूमि एक्वायर नहीं की गई है मुआवजे की बेहस नहीं है और जो तजवीज की है उसके खिलाफ किसी की कोई अपील नहीं हुई।''** सन् 1962 के इस निर्णय की पुष्टि करते हुए दो शासकीय पत्र उपलब्ध है जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं । पहला पत्र दिनांक 20.02.2011 व दूसरा पत्र दिनांक 26.08.2011 का है । इन दोनों पत्रों में आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ को प्रस्तावित वन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है । मुकदमा दर्ज होने के पहले इन दस्तावेजों की भावना यही है कि वन विभाग पिलर संख्या 118 से 125 में आ रही भूमि को वन भूमि नहीं मानता है। पिलर संख्या 118 से 125 की जो स्थिति थी, उसमें परिवर्तन करके इन पिलर्स की भौतिक स्थिति को बदल दिया गया । पहले ये पिलर्स आराजी नं0 26 की बाहरी सीमा स्थित थे जिन्हें बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के आराजी नं0 26 के अंदर स्थित होना अंकित कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध और क्षेत्राधिकारविहिन कार्यवाही है । राजपत्र के अनुसार लगाये जाने वाले पिलर्स जो आराजी नं0 26 की बाहरी सीमा में स्थित थे, उन्हें खिसकाकर आराजी नं0 26 के अन्दर लाने से सारा विवाद पैदा हुआ । आराजी नं0 26 मंदिर की खातेदारी में दर्ज है । पिलर संख्या 118 से 125 आराजी नं0 26 में स्थित है ही नहीं अगर होते तो इस कॉलम नं0 7 के नीचे पिलर संख्या 118 से 125 की कुल संख्या 8 का अंक लिखा होता । वन विभाग का यह कथन गलत है कि आराजी नं0 26 रकबा 4.10 एकड़ नोटिफाइड फोरेस्ट का भाग हो । आराजी नं0 26 में पिलर संख्या 118 से 125 स्थित नहीं है । रेकर्ड सम्वत् 2012 के सेटलमेंट से आराजी नं0 26 रेस्पोंडेण्ट के खाते में दर्ज चली आ रही होना साबित होने से सही और विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है । वन विभाग

के कथन उसके ही दस्तावेज सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.02.1962 के विपरीत होकर उसका पश्चात्वर्ती सोच होने से नकारा जाना कतई गलत नहीं कहा जा सकता । वन विभाग के विभागीय इन्सपेक्टर की दिनांक 11.10.1960 द्वारा की गयी तथाकथित टिप्पणी पूरी तरह से क्षेत्राधिकारविहिन और अप्राधिकृत है । इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आज्ञा नहीं की गयी है । अगर की गयी होती तो उसी टिप्पणी में आदेश का नम्बर अवश्य अंकित होता । टिप्पणी में **"आदेश नम्बर....."** आज भी खाली पड़ा है । वन विभाग के कथनों से स्पष्ट हो गया है कि वह आराजी नं0 26 क्षेत्रफल 14.32 एकड़ की 4.10 एकड़ भूमि को प्रस्तावित वन क्षेत्र की आराजी नं0 27 का भाग होना केवल और केवल इस अप्राधिकृत व अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा की गयी टिप्पणी के आधार पर ही बता रहा है । एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाये कि ऐसी टिप्पणी की भी गयी हो तो निवेदन है कि बाद में इस टिप्पणी को खुद वन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के पश्चात्वर्ती निर्णय दिनांक 27.02.1962 में इस टिप्पणी को कोई महत्व नहीं दिया गया । तथाकथित टिप्पणी दिनांक 11.10.1960 सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के पश्चात्वर्ती निर्णय दिनांक 27.02.1962 से **deemed refused** हो जाती है तथा सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.02.1962 से वन विभाग बाध्य है । आराजी नं0 27 का कुल क्षेत्रफल 103.33 एकड़ होना कतई स्वीकार नहीं है । उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को एक पत्र दिनांक 02.09.2015 प्रेषित किया, जिसमें इस संबंध में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाती है कि आराजी नं0 27 का क्षेत्रफल अगर कम हुआ तो कैसे हुआ । उक्त पत्र के अनुसार आराजी नं. 27 का रकबा 103.33 एकड़ा से 99.43 एकड़ कुछ पश्चात्वर्ती आवंटन से कम हुआ है जिससे रेस्पोंडेण्ट की 4.10 एकड़ भूमि का संबंध नहीं है । वन विभाग के आपसी पत्राचार से स्पष्ट है । शुरू से ही 99.43 एकड़ चला आ रहा है । राजस्व अभिलेख की इस निर्विवादित स्थिति के विपरीत कथन किये गये हैं जिसका कोई लाभ नहीं है । अगर आराजी नं0 26 की 4.10 एकड़ भूमि आराजी नं0 27 में शामिल कर ली जाती तो इस संबंध में नामान्तकरण अवश्य खोला जाता जो नहीं खोला गया । रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने जबाब के कलम संख्या 5 में कुल 10 निम्न दस्तावेज –

1. पत्र दिनांक 17.06.2010 द्वारा उप तहसीलदार सज्जनगढ़ वास्ते उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ ।

2. पत्र द्वारा मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा वास्ते जिला कलक्टर, बांसवाड़ा दिनांक 26.08.2011
3. पत्र दिनांक 29.08.2011 द्वारा जिला कलक्टर, बांसवाड़ा वास्ते अति. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर ।
4. पत्र दिनांक 13.09.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ वास्ते जिला कलक्टर, बांसवाड़ा ।
5. तहसील आदेश की पालना में वन विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 02.06.2010 को तैयार पर्चा–मौका ।
6. मण्डल वन अधिकारी के आदेश की पालना में वन विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा दिनांक 24.02.2011 को तैयार पर्चा–मौका ।
7. पत्र द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर वास्ते उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा दिनांक 04.12.2014 ।
8. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 02.09.2015 ।
9. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 09.08.2017 ।
10. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा रेस्पोंडेण्ट को प्रेषित पत्र दिनांक 07.11.2017 ।

–का विवरण अंकित करते हुए अपीलाण्ट की अपील को निराधार होना बताते हुए जबाब में यह कथन करता है कि नक्शा में सिर्फ एक इंसपेक्टर के अनाधिकृत टिप्पणी जिसमें आदेश नम्बर भी वर्णित नहीं है तथा सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किये जाने के तथ्य वर्णित नहीं किये गये हैं तथा उक्त भूमि को निराधार वन विभाग की भूमि बताया जा रहा है जबकि रेस्पोंडेण्ट की आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ के रकबे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयी तथा न ही कोई नामान्तकरण से उक्त भूमि कम की गयी है । रेस्पोंडेण्ट द्वारा अंकित किया गया है कि अपीलाण्ट को जानकारी निर्णय के दि नही हो गयी थी । दिनांक 27.03.2018 को दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी और उस दिन वन विभाग के प्रतिनिधि **ACF** कुशलगढ़ ने न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक बहस की व फर्द अहकाम पर अपने हस्ताक्षर किये । आगामी पेशी दिनांक 13.04.2018 को पक्षकारान ने लिखित बहस पेश करने का मौका चाहा जो दिया गया । दिनांक 13.04.2018 को सहायक वन संरक्षक श्री दिलीपसिंह द्वारा हस्ताक्षरित लिखित बहस पेश की व अपने हस्ताक्षर भी किये । इस प्रकार सहायक वन संरक्षक श्री दिलीपसिंह

स्वयं न्यायालय में प्रकरण में भाग ले रहे थे तथा उन्हें प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी । लिखित बहस पेश करने के के बाद दिनांक 24.04.2018 को आगामी पेशी तय हुई । दिनांक 24.04.2018 को वनपाल श्री तेजसिंह चौहान की उपस्थिति में न्यायालय ने निर्णय सुनाया तथा उक्त अधिकारी श्री चौहान ने उस दिन फर्द अहकाम पर अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये हैं । इन आधारों पर निवेदन है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की निर्णय दिनांक 24.04.2018 को ही जानकारी हो गयी थी तो इससे भिन्न अन्य किसी दिनांक को अपीलाण्ट को जानकारी होना मानने का कोई आधार नहीं है । दफा 5 मियाद अधिनियम का जबाब अलग से पेश किया जा रहा है । अपीलाण्ट की अपील देर से पेश किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है । रेस्पोंडेण्ट द्वारा अन्य आपत्तियां भी वर्णित की है कि मूर्ति अंदेश्वर पार्श्वनाथजी जो कि एक शाश्वत अवयस्क है, उसके हितों व उसकी भूमि की रक्षार्थ जो आदेश प्रदान किया गया तथा जिसकी क्रियान्विति भी हो चुकी है, में हस्तक्षेप करने का प्रबल मामला अपीलाण्ट लेकर नहीं आये हैं । रेस्पोंडेण्ट ने जबाब की चरण संख्या 5 में जिन दस्तावेजों की सूची पेश की गयी है उनमें से अपीलाण्ट संख्या 3,4 द्वारा अधिकांश दस्तावेज तैयार किये गये हैं । सहायक वन संरक्षक को अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हो चुकी है तथा उसकी जानकारी वन विभाग को है तथा आज की तारीख में आराजी नं0 26 को उसकी मूल सीमाएं प्राप्त हो चुकी है और अप्राधिकृत तौर पर डाली गई लाइनें हटा दी गयी है । जिसके समर्थन में संशोधित नक्शा प्रदर्श–2 पेश है । अपीलाण्ट्स में से कुछ तो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ठ हो उसके क्रियान्वयन में लगे हैं व कुछ उसे चुनौती देने में आगे आना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में सारे अपीलाण्ट मिलकर एक अपील पेश नहीं कर सकते । अपील पक्षकारों और वाद कारण के कुसंयोजन के दोष से ग्रस्त होकर आदेश 1 नियम 13 व आदेश 2 नियम 7 के अनुसार वर्जित है । किसी न्यायालय द्वारा निर्णय की पालना होने देना, उपर की अदालत में उसे चुनौती नहीं देना, उपर की अदालत से स्थगन प्राप्त नहीं करना इत्यादि सहमति माना जाएगा । रेस्पोंडेण्ट ने अनुतोष चाहा है कि अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 द्वारा अपील पेश किये जाने के लिए अधिकृत नहीं होना माना जाए । दफा 5 जा. दीवानी का भी जबाब पेश करते हुए निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा मूल अपील में मियाद बाबत् आपत्तियां वर्णित की गयी है परन्तु फिर भी भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने का आदेश कब व किस अधिकारी ने दिया, इसका कोई

आधार नहीं है । अधिकारी अधिकारी आपस में ही बात करना अंकित किया गया है । किसी राजकीय अभिभाषक से भी सम्पर्क नहीं किया गया । निर्णय की अपील पेश करने में निश्चित लापरवाही की गयी । जानकारी पूर्व से है । इस आधार पर अपील मियाद बाहर होने से खारित की जायें ।

रेस्पोंडेण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0 दीवानी के तहत निम्नानुसार दस्तावेजात 1 से 10 की प्रति पेश कर उन्हें रेकर्ड पर रखे जाने का आवेदन शपथ–पत्र के साथ किया –

1. सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.02.1962 ।
2. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 02.09.2015 ।
3. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 09.08.2017 ।
4. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा रेस्पोंडेण्ट को प्रेषित पत्र दिनांक 07.11.2017 ।
5. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा रेस्पोंडेण्ट को प्रेषित पत्र दिनांक 24.07.2018 ।
6. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 13.08.2018 ।
7. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा रेस्पोंडेण्ट को प्रेषित पत्र दिनांक 16.11.2018 ।
8. कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक, श्रम एवं विधि जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 30.11.2018 ।
9. कार्यालय सहायक वन संरक्षक, कुशलगढ़ द्वारा उप वन संरक्षक बांसवाड़ा को प्रेषित पत्र दिनांक 11.03.2019 ।
10. कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 27.03.2019 ।

उपरोक्त सभी दस्तावेज राजकीय रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां व प्रासांगिक होने से रेस्पोंडेण्ट का उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात रेकर्ड पर रखे आने की अनुज्ञा दी जाती है ।

अपील में सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 10.01.2020 को एक लिखित अभिकथन रेस्पोंडेण्ट द्वारा दिये गये जबाब का जबाब पेश किया गया जो पत्रावली पर रेकर्ड पर उपलब्ध है ।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा दिनांक 06.03.2020 को न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार सज्जनगढ़ से यह रिपोर्ट चाही गयी कि – ''विपक्षी पार्श्वनाथ स्थानदेह की खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 26 रकबा 14.32 एकड़ की भूमि पर वन विभाग की लाल रेखा का अंकन किया गया था । इस संदर्भ में मौके पर आराजी नं0 26 का रकबा 14.32 एकड़ वन विभाग की लाल रेखा के अंदर ही 14.32 एकड़ पूरा हो जाता है अथवा उक्त रेखा को हटाने के बाद इसका रकबा 14.32 एकड़ बनता है । मौके, नक्शे एवं जमाबंदी के अनुसार आराजी नं0 26 की नपती की जाकर उसका कुल रकबा नक्शे में लाल रेखा के सहित एवं उसके बिना कितना बनता है । उपरोक्त मौके पर उभय पक्षक उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा अथवा उसके प्रतिनिधि एवं श्री पार्श्वनाथ जी स्थानदेह के व्यवस्थापक श्री जयन्तिलाल पुत्र नथमल जी सेठ निवासी नेहरू मार्ग, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में आप स्वयं आराजी नं0 26 की मौके की नपती कर उसका राजस्व रेकर्ड व नक्शे की तुलना में सुस्पष्ट रिपोर्ट 15 योम में भिजायें।''

तहसीलदार, सज्जनगढ़ द्वारा अपने पत्रांक–186 दिनांक 16.03.2020से उभय पक्षों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की –

> ''(1) यह कि ग्राम अंदेश्वर की आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ भूमि श्री पार्श्वनाथजी मंदिर स्थानदेह समस्त पंच दशा हुमड़ बीस पंथी साकिन कुशलगढ़ के नाम दर्ज रेकार्ड है ।
>
> (2) मौके पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौका जांच कर आराजी नं0 26 में जो वन विभाग की लाल रेखा खींची हुई है उक्त रेखा के अंदर वन विभाग की सीमा तरफ आराजी नं0 26 का 4.10 एकड़ रकबा तथा उक्त लाल रेखा के बाहर राजस्व सीमा मंदिर परिसर की तरफ आराजी नं0 26 का रकबा 10.22 एकड़ बनता है इस प्रकार आ0नं0 26 में वन विभाग की खींची हुई लाल रेखा हटाने पर ही आराजी नं0 26 का रकबा 14.32 एकड़ पूर्ण होता है ।''

उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कोविड–19 के कारण प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकी तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.08.2020 को उभय पक्षों की बहस सुनी गयी । दौराने बहस उभय पक्ष द्वारा अपने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों एवं प्रस्तुत रेकर्ड का ही पुनः उद्धरण किया गया । हमारे द्वारा उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनी गयी बहस, पत्रावली के रेकर्ड, मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हम सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करना उचित समझते हैं ।

अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के सन्दर्भ में अपने आवेदन में मूलतः यह वर्णित किया है कि वे राजकीय कर्मचारी होकर कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण जानकारी प्राप्त होते ही राज्य सरकार द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील करने के निर्देश दिये गये लेकिन पुनः आपके यहां प्रस्तुत करने के निर्देश होने से आपके यहां अपील प्रस्तुत की । इसके विरूद्ध खण्डन में जबाब जैसाकि हमारे द्वारा पूर्व में वर्णित किया गया है, रेस्पोंडेण्ट द्वारा दिया गया है ।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट के प्रार्थना–पत्र पर अपीलाण्ट की ओर से विधिवत् पैरवी की गयी तथा दिनांक 27.03.2018 व 13.04.2018 को दौराने बहस अपीलाण्ट व अपीलाण्ट/ विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं तथा निर्णय दिनांक 24.04.2018 को भी विभागीय प्रतिनिधि बवक्त निर्णय उपस्थित रहे हैं । दिनांक 24.04.2018 के निर्णय की अपील किये जाने के लिये विहित अवधि 60 दिवस दिनांक 23.06.2018 को होती है एवं निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को 24.04.2018 को होना सुस्पष्ट रूप से साबित है । पूर्व में यह सुस्पष्ट होता है कि दिनांक 23.06.2018 के स्थान पर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2019 को अर्थात् करीब साढ़े 14 माह यानि 444 दिन से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । इस 444 दिन के विलम्ब का कारण अपीलाण्ट के राजकीय कर्मचारी होने एवं राजकार्य में व्यस्त होने तथा राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के निर्देश व बाद में क्षेत्राधिकार के भ्रम का निवारण होना कारण अवगत करवाया गया है ।

हम यह सुनिश्चित रूप से मानते है कि राजकीय प्रकरणों के सन्दर्भ में मियाद के लिए एक सम्यक् व औचित्यपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाना चाहिये यानि

राजकीय मामलों में विभिन्न स्तरों पर परीक्षण व सक्षम आदेश लेने में समय लगता है परन्तु विहित 60 दिन से 444 दिन अधिक लगने हेतु कोई ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है । जहां तक राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, यह अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हो, इस हेतु भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह विनिश्चित हो सकें कि अपील औचित्यपूर्ण विलम्ब के साथ पृथक न्यायालय में पेश कर दी गयी हो अर्थात् अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील में 444 दिन के विलम्ब के लिए कोई ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है । न्यायालय हाजा इस अभिमत के भी है कि विलम्ब राजकीय प्रकरणों में औचित्यपूर्ण एवं सम्यक् दृष्टिकोण रखकर किया जाना चाहिये । विशेष रूप से जब कोई प्रकरण विधिविरूद्ध हुआ हो तो ऐसे प्रकरणों में कोई मियाद का औचित्य भी नहीं होता । इस प्रकरण में तो विभागीय पत्राचार से यह स्पष्ट होता है कि विभाग स्वयं ही कतिपय स्तरों पर अपीलाण्ट के दृष्टिकोण से सहमत है तथा विभागीय पत्राचार से यह स्पष्ट होता है कि अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए मुख्य आधार यह लिया गया है– नक्शे पर यह नोट डाला गया है कि आराजी नं0 26 की सीमा गलत होने से 4.10 एकड़ भूमि आराजी नं0 27 में शामिल कर ली है । हमारे द्वारा उक्त प्रमुख आधार के सन्दर्भ में आदेश की विधिकता एवं मियाद के सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी ताकि आदेश की विधिकता को मियाद के सन्दर्भ में देखा जा सकें क्योंकि विधिविरूद्ध आदेश में मियाद लागू नहीं होती । हमारे पास उभय पक्षों की उपस्थिति में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें यह स्पष्ट आता है कि आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ भूमि रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा यह रिपोर्ट भी स्पष्ट आती है कि– ''मौके पर वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौका जांच कर आराजी नं0 26 में जो वन विभाग की लाल रेखा खींची हुई है उक्त रेखा के अंदर वन विभाग की सीमा तरफ आराजी नं0 26 का 4.10 एकड़ रकबा तथा उक्त लाल रेखा के बाहर राजस्व सीमा मंदिर परिसर की तरफ आराजी नं0 26 का रकबा 10.22 एकड़ बनता है इस प्रकार आ0नं0 26 में वन विभाग की खींची हुई लाल रेखा हटाने पर ही आराजी नं0 26 का रकबा 14.32 एकड़ पूर्ण होता है ।'' इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व विभाग धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत यदि भू–प्रबन्ध के दौरान किसी प्रकार की रेकर्ड में पूर्व प्रविष्ठियों की तुलना में हुई हो तो उन्हें सुधार किये जाने के लिए अधिकृत है । इस प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट की भूमि आराजी नं0 26 रकबा 14.32 एकड़ में अपीलाण्ट विपक्षी की भूमि शामिल हुई हो, ऐसा कोई

तथ्य रेकर्ड पर नहीं है, तद्नुसार नक्शे में जो आराजी नं0 26 में से 4.10 एकड़ भूमि को काटी गई है उसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड के दुरूस्तीकरण के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो कार्यवाही की है, उसे पृथक दृष्टया विधिविरूद्ध नहीं कहा जा सकता अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध नहीं है । अतएवं उक्त आदेश को मियाद के दृष्टिगत विधिविरूद्ध नहीं कहा जा सकता ।

उपरोक्तानुसार हम अपीलाण्ट की अपील को 444 दिन विलम्ब से होने के दृष्टिगत कोई ठोस, उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं पाते हैं । अतएवं अपील अपीलाण्ट बेरून मियाद होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर